राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com

क्रमांकः– सर./कृषि/20/2017–18–　　　　　　　　　　दिनांकः–08.03.2018

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़, जिला–श्रीगंगानगर (राजस्थान) में रबी 2017 –18, जायद 2018 व खरीफ 2018 में उत्पादित अनाज की विभिन्न जिन्सों हेतु पल्लेदारी के कार्य करवाने के लिए मोहरबंद अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती हैं, जो कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 20.03.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक मय धरोहर राशि रूपये 25000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) प्रति खण्ड बैंक ड्राफ्ट जो कि ''राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ़'' के नाम से सूरतगढ में देय हो के साथ देनी होगी। पल्लेदारी की दरें प्रति क्विंटल के आधार पर देनी होगीं।

प्राप्त निविदाऐं उसी दिन निर्धारित तिथि पर 3.30 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी, उत्पादित होने वाली फसलों व कार्यों का विवरण इस प्रकार से है :–

क्र.सं.	फसल	अनुमानित मात्रा			कार्य विवरण
		खण्ड 4	खण्ड 5		
1	रबी 2017 –18	22000.00	23000.00	क्विंटल	बोरी भरना, तुलाई करना, सिलाई करना, फार्म के ट्रक/ट्राली में लादना, उतारना व गोदाम में 18 बोरियों तक का चट्ठा लगाना।
2	जायद 2018 व खरीफ 2018	10000.00	12000.00	क्विंटल	
	कुलः –	32000.00	35000.00	क्विंटल	

उपरोक्त कार्य की दरें भरने के लिए निविदा फार्म अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय से रुपये 200/–(नॉन रिफन्डेबल) जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है। एवं किसी भी कार्य दिवस में नियम/षर्तें की जानकारी प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक फार्म के कृषि अनुभाग से ली जा सकती है तथा इसकी विस्तृत जानकारी के लिये वेवसाइड www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है। यदि निविदा वेबसाइड से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राषि के अतिरिक्त निविदा षुल्क रु.200/–(नॉन रिफन्डेबल) का ड्राफ्ट देना होगा। बोलीदाता/निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड/ टिन न. की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु राषनकार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी।

नोटः – अपराहन 1.00 बजे के बाद कोई टेण्डर फार्म नही दिया जायेगा व 3.00 बजे के बाद कोई भी टेण्डर फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रबंधक (उत्पादन)

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राज.)

क्रमांकः – सर./कृषि/20/2017–18– दिनांकः –

पल्लेदारी कार्य के नियम व शर्तें

1. निविदा प्रपत्र के साथ इस कार्यालय में धरोहर राशि रूपये 25,000/– (पच्चीस हजार मात्र) प्रति खण्ड़ बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कि ''राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ़'' के नाम से सुरतगढ में देय हो के साथ देनी होगी ।
2. परिस्थितियों को देखते हुए उसी दिन खुली बोली निविदादाताओं के समक्ष की जा सकती हैं। बोली समाप्त होने पर निविदाऐं बोलीदाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। शर्त नं. 01 के अनुसार मान्य निविदादाताओं को ही बोली में सम्मिलित किया जाऐगा।
3. रबी 2017–18, जायद 2018 व खरीफ 2018 इत्यादि में उत्पादित होने वाली विभिन्न फसलों की कुल अनुमानित मात्रा 67000.00 क्वि. है। यह मात्रा कम/ज्यादा भी हो सकती है तथा ठेकेदार को इसके अतिरिक्त भी उन्हीं दरों पर कार्य करना होगा।
4. पल्लेदारी कार्य के तहत निम्न कार्य ठेकेदार को करने पड़ेगें – 1. बोरी भरना, 2. तुलाई करना, 3. सिलाई करना, 4. ट्रक/ट्राली में लादना, 5. ट्रक/ट्राली से उतारना 6. गोदाम में 18 बोरी तक चटठे लगाना (धर्म कांटे की तुलाई का पैसा नही दिया जायेगा)।
5. बोरी में अनाज 50 किलोग्राम एवं 70 से 90 किलोग्राम तक वजन की मात्रा, बोरी की क्षमता अनुसार भरना होगा।
6. निगम पल्लेदारी कार्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा फर्म को भी ठेका अपनी सुविधा अनुसार दिया जा सकता है।
7. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौते (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने होगें, इसके लिए पार्टी को रूपये 100/– (रूपये दो सौ मात्र) नान् ज्यूडिसियल स्टाम्प फार्म को उपलब्ध करवाना होगा।
8. ठेकेदार व उसके श्रमिकों को 24 घंटे उपरोक्त कार्य के लिए तैयार रहना होगा ताकि अचानक होने वाली बरसात/आंधी/तूफान आदि से पैदावार को नुकसान नहीं पहुँचे एवं शीघ्र अतिशीघ्र उपरोक्त कार्य पूर्ण हो सके।
9. ठेकेदार को किये गये कार्य के भुगतान हेतु अपना बिल 15 दिनों के बाद प्रस्तुत करना होगा ताकि नियमानुसार उसको भुगतान करवाया जा सके एवं बीच–बीच में उसे कार्य के लिए कोई एडवांस नहीं दिया जायेगा।
10. असफल बोलीदाता को धरोहर राशि बिना ब्याज के चैक के द्वारा टेण्डर के 15 दिनों के बाद वापस कर दी जायेगी व सफल बोलीदाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से सम्पन्न होने के बाद लौटाई जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. सफल बोलीदाता उपरोक्त नियम व शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा एवं नियम व शर्तों को पूरा नहीं करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा व जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाऐगी।
12. कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अन्य कोई शारीरिक क्षति होने पर ठेकेदार जिम्मेदार होगा, फार्म की किसी भी प्रकारकोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
13. ठेकेदार को अपना PAN नम्बर उपलब्ध करवाना होगा एवं नियमानुसार किसी भी प्रकार का टेक्स आदि बनता होगा तो जमा करवाना होगा।
14. ठेके के कार्य के दौरान किसी भी प्रकार के मतभेद या विवाद पर निदेषक (फार्म), केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ का निर्णय अन्तिम व सभी ठेकेदारों को मान्य होगा।

प्रबंधक (उत्पादन)